प्रेषक,

संख्या– 1139 /VI/2006–3(56)2006

संतोष बडोनी,
अनुसचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
पर्यटन निदेशालय,
उत्तरांचल, देहरादून ।

पर्यटन अनुभाग:

देहरादून दिनांक 04 दिसम्बर, 2006

विषयः स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत पर्यटन विकास की योजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2006–07 में धनराशि की स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–943/VI/2006, दिनांक 04 अक्टूबर, 2006 और शासनादेश संख्या–1038/VI/2006, दिनांक 16 अक्टूबर, 2006 तथा आपके पत्र संख्या–646/2–6–449/05–06, दिनांक 20 फरवरी, 2006 एवं अध्यक्ष, नगर पचांयत, नन्दप्रयाग, चमोली के पत्र संख्या–मेमो, दिनांक 07 फरवरी, 2006 के सन्दर्भ में श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2006–07 में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत प्रस्तुत पर्यटन विकास की संलग्न 05 योजनाओं हेतु रू0 32.599 लाख के आगणन के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरांत संस्तुत धनराशि रू0 25.15 लाख (रूपये पच्चीस लाख पन्द्रह हजार मात्र) की लागत के आगणनों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 में इतनी ही धनराशि को आपके निवर्तन में रखी गई धनराशि रू0 270.00 लाख में से व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

क0 सं0	योजना का नाम	मूल लागत	टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत धनराशि/ अवमुक्त की जा रही धनराशि	निर्माण इकाई
1	ग्राम तेड़ा (ग्राम सभा कुँआ) में रूद्रेश्वर मंदिर परिसर का सौ0	2.66	2.32	अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड सिचाई विभाग, जोशीयाड़ा, उत्तरकाशी।
2	ग्राम सभा सिमलसारी में धमेश्वर महादेव का सौ0	3.17	2.87	–तदैव–
3	ग्राम धारकोट (बनचौरा) में कन्डक देवता मंदिर का सौ0	2.08	1.74	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उत्तरकाशी
4	विकास खण्ड गरूड़ में बैजनाथ के निकट कालिका मंदिर में धर्मशाला निर्माण एवं मंदिर का सौन्दर्यीकरण	20.49	14.70	लोक निर्माण विभाग, प्रा0खण्ड बागेश्वर
5	नन्दप्रयाग मुनियाली (अनुसूचित) जाति बस्ती में मंदिर का सौन्दर्यीकरण	4.199	3.52	नगर पंचायत नन्दप्रयाग
	योग–	**32.599**	**25.15**	

(रूपये पच्चीस लाख पन्द्रह हजार मात्र)

2–उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता जिसे व्यय करने के हेतु पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3–उक्त प्रस्तावित भवन के निर्माण पर धनराशि तभी व्यय की जायेगी जब भवन हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित हो जायेगी। भवन के पूर्ण होने के उपरान्त सम्पूर्ण भवन का रंगीन मानचित्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है की स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से स्वीकृत करा लें।

5–कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

6–कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

7–एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

8–कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताए तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एंव लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।
9–कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एंव भुगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें ।
10–आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।
11–निर्माण सामग्री का उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए ।
12–कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी तथा बाढ़ व नदी के बहाव आदि से सम्बन्धित सभी बिन्दुओं का परीक्षण निर्माण एजेन्सी द्वारा निर्माण से पूर्व कर लिया जाएगा जिससे भविष्य में किसी प्रकार की समस्या न हो।
13–कार्य प्रारम्भ के समय सम्बंधित निर्माण एजेन्सी कार्यस्थल पर इस आशय का एक साईन बोर्ड स्थापित करेगा कि उक्त योजना/कार्य पर्यटन विभाग, उत्तरांचल के सौजन्य से किया जा रहा है, योजना प्रारम्भ करने का समय, इसकी लागत, पूर्ण करने का समय तथा कार्यदायी संस्था का विवरण भी अंकित किया जायेगा। सम्बन्धित
जिला पर्यटक विकास अधिकारी उक्त कार्य का समय–समय पर भौतिक निरीक्षण कर कार्य की भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह शासन को अवगत करायेगें एवं कार्य पूर्ण होने की सूचना व योजना का फोटोग्राफ्स अवश्य शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध करायेगा।
14–पर्यटन निदेशालय द्वारा शासन स्तर से समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में इंगित सभी शर्तो का उल्लेख अनिवार्य रूप से अपने कार्यालय आदेश में भी इंगित किया जायेगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी से कार्य को गुणवत्ता व समयबद्वता के आधार पर पूर्ण किये जाने हेतु वचनबद्वता प्राप्त कर लिया जायेगा।
15–उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006–07 के अनुदान संख्या–30 के लेखाशीर्षक–5452–पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–104–सम्बर्द्धन तथा प्रचार–04–राज्य सेक्टर–00–24–वृहद निर्माण कार्य मद के नामें डाला जायेगा।
16–कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।

संख्या– 1139 /VI/2006–3(56)2006 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून।
2–वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3–आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।
4–जिलाधिकारी, उत्तरकाशी, बागेश्वर, चमोली।
5–निजी सचिव,मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल शासन।
6–निजी सचिव,मा0 पर्यटन मंत्री जी, उत्तरांचल शासन।
7–निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
8–जिला पर्यटन विकास अधिकारी, उत्तरकाशी, बागेश्वर, चमोली।
9–वित्त अनुभाग–2,
10–श्री एल0एम0पन्त, अपर सचिव वित्त ।
11–अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन।
12–एन0आई0सी0, उत्तरांचल सचिवालय परिसर।
13–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।